संख्या 3451/ब्यूरो-79-80/78

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार माडवल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 1979

विषयः— राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के गैर—सरकारी अध्यक्षों एवं गैर—सरकारी निदेशकों को देय मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समय राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में अध्यक्ष एवं निदेशक पद पर नियुक्त गैर—सरकारी व्यक्तियों को भिन्न—भिन्न दरों से मानदेय एवं भत्ते आदि प्रदान किये जा रहे हैं। कुछ समय से शासन के समक्ष, उपरोक्त गैर—सरकारी अध्यक्षों एवं गैर सरकारी निदेशकों को देय मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में, एकरूपता लाने की दृष्टि से नीति निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने प्रश्नगत विषय में यह निर्णय लिया है किः—

1- गैर—सरकारी अध्यक्ष——

(क) राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के गैर—सरकारी अध्यक्षों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जायः—

(1) वे व्यक्ति जो पूर्णकालिक कारोबार/व्यवसाय के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अपना कुछ समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों, जिनमें वे अध्यक्ष बने हैं, के कार्यों में लगाना स्वीकार कर लिया है।

(2) वे व्यक्ति जो किसी कारोबार/सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिक हैं और जिन्होंने किसी सरकारी उपक्रम/निगम में अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है।

(3) वे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में जन सेवा कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने सीमित समय के लिए सार्वजनिक उपक्रम/निगम के अध्यक्ष पद का अंशकालिक उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है।

चूंकि उक्त वर्ग (1) एवं वर्ग (2) के अध्यक्षों के लिए आय के अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं, अतः उनके प्रसंग में यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सार्वजनिक उद्योगों/निगमों की बैठकों, आदि में भाग लेने के लिए केवल बैठक शुल्क (सिटिंग फीस), यात्रा भत्ता और प्रासंगिक व्यय दिया जाना ही पर्याप्त होगा।

(ख) जहां तक उक्त वर्ग 3 के गैर–सरकारी अध्यक्षों का प्रश्न है, उन्हें निम्नलिखित मानदेय, भत्ते एवं सुविधायें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया:–

(1) मानदेय––

रु० 1,000/- प्रति माह की दर से

(2) यात्रा भत्ता––

सार्वजनिक उद्योगों/निगमों की उप समिति की बैठकों में भाग लेने हेत या उपक्रम/निगम के किसी अन्य कार्य से यात्रा करने पर अध्यक्ष को उस उपक्रम के मुख्य कार्यकारी के समकक्ष यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय अनुमन्य होगा। परन्त निदशक–मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें केवल यात्रा भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय ही देय होगा। उन्हें सिटिंग फीस तथा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। रेल अथवा बस द्वारा निःशुल्क पास/कूपन आदि पर यात्रायें करने की दशा में यात्रा भत्ता देय न होगा, परन्तु प्रासंगिक व्यय अनुमन्य होगा।

(3) आवासीय सुविधा––

यदि अध्यक्ष को शासन द्वारा किसी अन्य प्रसंग में आवासीय सुविधा अथवा उसके बदले में कोई भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में, उन्हें रु० 300 प्रति माह की दर से आवासीय भत्ता प्रदान किया जाय। किन्तु यदि कोई अध्यक्ष उक्त आवासीय भत्ता न लेना चाहे तो उन्हें उसके समकक्ष आवास यथासमय आवंटित किया जाय।

(4) चिकित्सा भत्ता––

गैर–सरकारी अध्यक्ष को शासन द्वारा कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करायी गयी हो तो ऐसी दशा में इनको अपनी व्यक्तिगत चिकित्सा हेतु केवल रु० 20 (बीस रुपया केवल) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाय।

(5) वाहन भत्ता––

गैर–सरकारी अध्यक्ष को कोई स्टाफ कार अनुमन्य न होगी। परन्तु वाहन भत्ते के रूप में उन्हें रु० 300 (तीन सौ रुपया) प्रतिमाह प्रदान किया जाय

(6) टेलीफोन सुविधा––

गैर–सरकारी अध्यक्ष को टेलीफोन सुविधा कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर निगम/उपक्रम द्वारा अनुमन्य करायी जाय, किन्तु आवास पर टेलीफोन केवल उस दशा में ही उपलब्ध करायी जाय यदि अध्यक्ष का आवास निगम/उपक्रम के मुख्यालय के स्थान पर हो। आवास, निगम/उपक्रम के मुख्यालय के स्थान से पृथक, किसी दूसरे शहर या स्थान पर होने की दशा में आवास पर टेलीफोन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

अध्यक्ष को एक तिमाही में कुल 1,000 स्थानीय काल भी अनुमन्य होंगी।

(7) वैयक्तिक स्टाफ की सुविधा––

अध्यक्षों को एक वैयक्तिक सहायक तथा एक चपरासी को सुविधा प्रदान की जाय। कार्यभार को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में एक टंकक की सेवा भी उपलब्ध की जा सकती है।

(ग) राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के गैर–सरकारी अध्यक्षों के उत्तर दायित्वों के सम्बन्ध में शासन ने निम्न लिखित निर्णय लिया है:–

(1) गैर–सरकारी अध्यक्षों द्वारा मुख्यतया निदेशक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता की जायगी। इन महानुभावों से यह भी आशा की जाती है कि वे विशेष महत्वपूर्ण मामलों में अथवा ऐसे मामलों में जिनमें उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक हो, अपने व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए, उपक्रम/निगम के मुख्य कार्यकारी द्वारा समय–समय पर कार्य–संचालन में उनका पथ–प्रदर्शन करेंगे।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में विभिन्न अधिकारों का प्रतिनिधायन उपक्रम/निगम के निदेशक मण्डल द्वारा केवल निम्न स्तरों को ही किया जाना चाहिए:––

(क) उपक्रम/निगम के मुख्य कार्यकारियों को,

(ख) उपक्रम/निगम द्वारा गठित उप समितियों को,

(ग) उपक्रम/निगम के अन्य प्रबन्धक वर्गों को तथा लाइन कार्यकर्त्ताओं को।

2- गैर–सरकारी निदेशक––

शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/निगमों से निदेशक मण्डल पर नियुक्त गैर–सरकारी निदेशकों को निम्नलिखित भत्ते एवं सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है:––

1-(क) उपक्रम/निगम के निदेशक मण्डल अथवा उसकी किसी उप समिति की बैठक में भाग लेने हेतु, बाहर से आने पर, गैर–सरकारी निदेशकों को प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को अनुमन्य दर से यात्रा भत्ता तथा शासनादेश संख्या 2578/ब्यूरो/78-88/75, दिनांक 27 जुलाई, 1975 में रु० 1,300 अथवा उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के समतुल्य दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यदि ऐसे गैर–सरकारी निदेशकों द्वारा उक्त यात्राओं के लिए कूपन/पास का उपयोग करके निःशुल्क यात्रा की जाती है, तो उन्हें ऐसी यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता देय न होगा–केवल प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को अनुमन्य दर से समकक्ष प्रासंगिक व्यय (इंसीडेन्टल चार्जेज) ही देय होगा।

(ख) यदि किसी अन्य स्रोत से सदस्यों को उपर्युक्त बैठकों में भाग लेने के दिवसों के लिए दैनिक भत्ता उपलब्ध कराया गया है, तो सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/निगम कोई भत्ता उन्हें अनुमन्य न होगा।

2-उपरोक्त प्रसंग में यह भी निर्णय लिया गया कि एकरुपता की दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा सेटिंग फोस की उच्चतम सीमा 100 रु० से अधिक न रखी जाय।

3-उपर्युक्त प्रकरण में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पैरा–1 (ख) खण्ड में उल्लिखित मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें राज्य के सार्वजनिक उद्योगों के केवल उन्हीं गैर–सरकारी अध्यक्षों को अनुमन्य होंगे, जो पैरा–1 (क) खण्ड के उप–पैरा (3) की परिभाषा में आते हैं।

भवदीय,
सुमन कुमार माडवल,
सचिव।

संख्या 3451 (1)/ब्यूरो-79-80/78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि––

(1) सचिवालय के समस्त अनुभागों को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक उद्योगों के गैर–सरकारी अध्यक्षों को देय उपरोक्त मानदेय, भत्ते एवं सुविधायें शासन द्वारा गठित गैर–व्यापारिक समितियों/परिषदों इत्यादि के गैर–सरकारी अध्यक्षों को भी अनुमन्य होगा। अतः सचिवालय के जिन अनुभागों के अधीन, सार्वजनिक उद्योगों/निगमों से भिन्न, अन्य गैर–व्यापारिक समितियां/परिषद् आदि गठित किये गये हों, उनके गैर–सरकारी अध्यक्षों को भी उपरोक्त मानदेय, भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में वे कृपया अपने स्तर से आदेश जारी कर दें तथा उसकी प्रति इस अनुभाग को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दें।

(2) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
भक्तिदेव मुकर्जी,
उप सचिव।